कार्यालय नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड–ब, तृतीय तल, नया रायपुर

क्र. 1115 /विमा/अनु.बि./2017 रायपुर दिनांक 17 .05.2017

प्रति,

मेसर्स गिरिशचन्द्र घोष एंड
जी.जी.एस प्रो.श्रीमती ज्योत्सना घोस, श्री सुप्रियों घोस
ग्राम–धुमा,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः–सुधारक अनुज्ञप्ति क्र. 323/7 से 338/7 का वर्ष 2017 एवं 2018 के लिए नवीनीकरण बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत सुधारक अनुज्ञप्ति क्र. 323/7 से 338/7 का वर्ष 2017 एवं 2018 के लिए मान्य कर उसे आपकी ओर भेजा जा रहा है। कृपया इस पत्र की पावती उचित माध्यम से इस कार्यालय को शीघ्र भिजवायें साथ ही आपको चेतावनी/निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में तिमाही प्रतिवेदन माह की 05 तारीख तक निरीक्षक विधिक मापाविज्ञान को भेजा करें, अन्यथा अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः–**मूल अनुज्ञप्ति–01**

उप नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नया रायपुर

पृ.क्र. /विमा/अनु.बि./2017 रायपुर, दिनांक .05.2017

प्रतिलिपि :–

1. सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
2. निरीक्षक विधिक मापविज्ञान, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

उप नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नया रायपुर

D/Arvind Lic letter.

अनुसूची–तीन
[नियम 11 (3)]

टीप :– प्रदत्त सुधारक अनुज्ञप्ति क्र. 323 से 338 तक में श्री सुजीत घोष का नाम हटाकर द्वितीय प्रति जारी हेतु वर्ष 2012 के लिए नवीनीकरण की जा चूकी है।

Deputy Controller
Office of the Controller
Weights & Measures
Chhattisgarh State, Raipur

द्वितीय प्रति

अनुज्ञप्ति प्ररूप

प्ररूप एल एम–3

छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान

बाट , मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के सुधार के लिए अनुज्ञप्ति

(16 जिलों के लिये)

अनुज्ञप्ति क्र. 323 से 338/2007 छ.ग. वर्ष **2007**

1. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, एतद द्वारा मे. गिरिशचन्द्र घोस एण्ड जी.जी.एस. को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम एवं पते) **प्रो. 1. श्रीमती ज्योत्सना घोस 2. श्री सुप्रियो घोस ग्राम–धुमा जिला–बिलासपुर** निम्नलिखित (जिसमें बांट, माप, तौल के उपकरण या माप उपकरण के प्रकार का विवरण सम्मिलित है जिसके पक्षकार द्वारा सुधार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना है) के सुधार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। **स्टोरेज टैंक केलिब्रेशन**
2. अनुज्ञप्ति उपरोक्त नामित पक्षकार के लिए उसके ग्राम–धुमा, **जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** पर स्थित कार्यशाला के संबंध में वैध है।
3. यह अनुज्ञप्ति 12.04.2007 से 31.12.2007 तक विधिमान्य है।
4. विक्रेता नीचे दी गई शर्तों का पालन करेगा। यदि वह शर्तों से किसी भी एक का पालन करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त होने के लिए दायी होगा।
5. पक्षकार को नीचे दर्शाए क्षेत्र में बांट, माप, तौल तथा माप उपकरणों के सुधार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

Deputy Controller
Office of the Controller
Weights & Measures
Chhattisgarh State, Raipur

....

दिनांक 12.04.2007

स्थान छ.ग., रायपुर

टीप :–फर्म के मामले में, व्यापार में कोई हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम सहित इसका नाम पैरा (1) में दिया जाना चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. व्यक्ति जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की जाती है –
   - (क) तत्समय प्रवृत अधिनियम तथा नियम के समस्त सुसंगत उपबंधों का पालन करेगा।
   - (ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित और अभिव्यक्त नहीं करेगा।
   - (ग) अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे यह संबंधित है, सहज दृश्य भाग पर प्रदर्शित करेगा।
   - (घ) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा।

c:/shudhRAK/pm65 (48)

व्यापार समाप्त करने तथा/या अनुज्ञप्ति के निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को समर्पित करेगा।

(च) (एक) बाट, माप तौल या माप उपकरण, जैसी स्थिति हो, को सम्यक सुधार के लिए उपभोक्ता को देने के पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी के समक्ष सत्यापन तथा स्टांपित किए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा जैसा कि नियम 14 (1) में यथा विनिर्दिष्ट है।

(दो) बाट, मापों तौल या माप उपकरणों को, यदि उनका सत्यपन प्राप्त होने के दिनांक के पूर्व ठीक/मरम्मत किया जाता है और जहां, इस प्रक्रिया के दौरान विधिक मापविज्ञान अधिकारी का सत्यापन स्टाम्प मिट जाता है अलग हो जाता है या टूट जाता है उसे उपभोक्ता को देने के पूर्व सम्यक रूप से मरम्मत करते हुए पुनः सत्यापन और मुद्रांकन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(छ) नियमों के अधीन उसकी अपेक्षानुसार अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति के नब्बे दिनों के भीतर इस अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2. इस अनुज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित होती है, तो उस व्यक्ति पर बंधनकारी होगी, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

नवीनीकरण प्रविष्टियाँ

चालू क्र 1-1-13 से 31-12-13 तक नवीनीकृत दिनांक .... के लिए नवीकृत की गई। सील Deputy Controller Legal Metrology Chhattisgarh Raipur नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र 01/01/2015 दिनांक से 31/12/2016 (02 वर्ष के लिए नवीनीकरण) .... के लिए नवीकृत की गई। सील Deputy Controller Legal Metrology Chhattisgarh Raipur नियंत्रक 01/01/2017 से 31/12/2018 (02 वर्ष के लिए नवीनीकरण) विधिक माप विज्ञान
चालू क्र .... दिनांक .... के लिए नवीकृत की गई। 01/01/14 से 31/12/14 (02 वर्ष के लिए नवीनीकरण) सील Deputy Controller Legal Metrology Chhattisgarh Raipur नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र .... दिनांक .... के लिए नवीकृत की गई। Deputy Controller Legal Metrology Chhattisgarh Raipur सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान